फार्म संख्या 111

फर्द अहकाम

नियम 20

जर्ये अदालत जिला कलक्टर, बारां

पूरणसिंह पुत्र बिरधीसिंह,
जाति राजपूत, नि.बमूलिया कलां
थाना अन्ता, तह. अन्ता, जिला बारां
(राज0) वगैरह ।

बनाम

सरकार जर्ये थानाधिकारी अन्ता वगैरह

किस्म मुकदमा :– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 411 जा0 फौ0 प्रकरण संख्या 31/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इंनिशिवल्स जज	नम्बर व ता. अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.2022	प्रार्थी ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अन्ता में विचाराधीन बउनवान मुकदमा सरकार जर्ये थानाधिकारी, अन्ता बनाम पूरण सिंह वगै. इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107, 151 जा0 फौ0 को जिले के अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 411 जा0 फौ0 के तहत पेश की है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से अन्तर्गत धारा 107, 151 सी.आर.पी.सी. के तहत प्रस्तुत इस्तगासे में आदेश दिनांक 07.04.2019 से विवादित आराजी पर रिसीवर नियुक्त कर फसल का जर्ये रिसीवर निस्तारण कर आय राजकीय अमानत मद में जमा करवा दी। प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी में माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां ने प्रकरण संख्या 23/2019 पूरणसिंह बनाम ज्ञानचन्द में दिनांक 14.06.2019 को निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 07.04.2019 अपास्त किया जाकर आदेश में वर्णित गेंहू एवं चने की फसल को अविलम्ब निस्तारण के निर्देश अधीनस्थ न्यायालय को प्रदान किये। वर्तमान में पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण होने से पद रिक्त है तथा प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। अतः न्यायहित में उक्त कार्यवाही को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में स्थानांतरित किये जाने का आदेश प्रदान करें। हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक प्रार्थी पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया तथा वर्तमान में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता का पद रिक्त होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी [illegible] न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता में विचाराधीन प्रकरण सुन[illegible]न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां को अन्तरित [illegible] न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में वास्ते सुन[illegible] हों। उपखण्ड अधिकारी, अन्ता/बारां [illegible] हो तथा उपखण्ड अधिकारी, अन्ता को उक्त पत्रावली नियत तिथि 04.[illegible]022 से पूर्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां को भिजवाने हेतु लिखा जा[illegible]। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो बाद तामील अभिलेख में प्रविष्ट हो। आदेश सुनाया गया। जिला मजिस्ट्रेट बारां	1159-6x 18/10/22

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 11:09:50 IST
Reason: SelfAttested